

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/450

दिनांक : 02-07-2019

संबंधित अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।


संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।

संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय : मा.राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 2808/2012 सूओ मोटो बनाम राज्य सरकार एवं डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 6672/2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि निदेशालय के समसंख्यक आदेश 432 दिनांक 26.06.2019 के द्वारा 25 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला कारागारों में किया गया है।

अतः उक्त संबंध में आप द्वारा कार्मिकों को कार्यमुक्त करने के आदेश की प्रति आज ही ई-मेल आई.डी. nggenral106@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यदि आप द्वारा किसी कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, तो इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण भिजवाते हुये तत्काल प्रभाव से कार्मिक को कार्यमुक्त कर आदेश की प्रति भिजवायें।


(मुकुल प्रभा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2019/

दिनांक :

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
4. अधीक्षक, महानिदेशालय, कारागार, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि आपके अधीन किन-किन कार्मिकों द्वारा कौनसी तिथि को कार्यग्रहण कर लिया है, की सूचना ई-मेल आई. डी. पर भिजवाने का श्रम करावें।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, राजस्थान।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
- ✓ 7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त पत्र तत्काल संबंधित को ई-मेल से भिजवाते हुये विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

/
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर